 E-Mail : dfo.fatehabad@yahoo.co.in

वन विभाग, कार्यालय

वन मण्डल अधिकारी, फतेहाबाद वन मण्डल, फतेहाबाद

पुराना कोर्ट रोड, नजदीक पी0डब्ल्यू0डी0 रेस्ट हाउस, फतेहाबाद–125050, फोन–01667–220313 (का0 / फैक्स)

Undertaking

Diversion of 0.023837 Ha. of Forest Land for Establishment of Retail Outlet (Petrol Pumb) at proposed location at Khasra No. 138//11/2 on in Village Haroli on Ratia – Sardulgarh Road (MDR-101) Block, Nagpur under Forest Division & District Fatehabad, Haryana.
Online Proposal No. FP/HR/Approach/142971/2021.

यह प्रमाणित किया जाता है कि विषयाकिंत प्रस्ताव में जारी स्टेज–1 की स्वीकृति अनुसार निम्न हिदायतों की पालना करनी सुनिश्चित की जाएगी।

वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्त एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज–II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:–

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

ii. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों / पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुचांया जाएगा।

iii. सी.ए. योजना के अनुसार, 100 पौधे लगाकर, 0.1 हेक्टेयर degraded वन भूमि कम्पार्टमेंट न. **H43P11, Fatehabad Branch RD 160 to 161, L/R Side** जिला–फतेहाबाद पर सी.ए. किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।

iv. ए.सी.ए. योजना के अनुसार, 40 पौधे लगाकर, 0.04 हेक्टेयर degraded वन भूमि कम्पार्टमेंट न. **H43P11, Fatehabad Branch RD 160 to 161, L/R Side,** जिला– फतेहाबाद, पर ए. सी.ए. किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।

v. यह सुनिश्चत किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेचछानुसार नहीं बदला जाएगा।

vi. भौतिक लक्ष्य एवं बजट नोडल अधिकारी द्वारा अलाट करने उपरांत पौधारोपण करवाने सम्बन्धी कार्यवाही अमल में ला दी जाएगी ।

vii. राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपने से पहले FSI के ई–ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।

viii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

Scanned by TapScanner

E-Mail : dfo.fatehabad@yahoo.co.in

वन विभाग, कार्यालय

वन मण्डल अधिकारी, फतेहाबाद वन मण्डल, फतेहाबाद

पुराना कोर्ट रोड, नजदीक पी0डब्ल्यु0डी0 रेस्ट हाउस, फतेहाबाद–125050, फोन–01667–220313 (का0/फैक्स)

ix. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NVP की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NVP की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगी।

x. इस प्रस्ताव को 15 वर्ष के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके उपरान्त यह अनुमति भारत सरकार से करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता ऐजेनसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि जो भी कम हो के सह समाप्त होगी।

xi. पैट्रोल पम्प की परिधि पर दीवार से 1.5 मीटर जगह छोडकर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर Light Crown पेडों का वृक्षारोपण करवाने हेतू प्रयोक्ता एजेन्सी बाध्य होगी।

xii. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पहुंच मार्ग (Entry/ Exit or Deceleration/ Acceleration) विभाजक द्वीप (Separator Island) पर भी पौधारोपण किया जाएगा तथा इस विभाजक द्वीप का कोई भी व्यापारिक उपयोग नही किया जावेगा ।

xiii. प्रयोक्ता एजेन्सी साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाने व साथ लगते वन और वन भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न करने हेतू बाध्य होगी ।

xiv. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करने हेतू बाध्य होगी ।

xv. प्रयोक्ता एजेन्सी प्रस्तावित स्थल के ले आउट प्लान को केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना नहीं बदलने हेतू बाध्य होगी ।

xvi. प्रयोक्ता एजेन्सी क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा वन एवं वन्य जीवों के सरंक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतू समय–2 पर लगाई गई शर्तों की अनुपालना हेतू बाध्य होगी ।

xvii. यदि आवश्यक हुआ तो प्रयोक्ता एजेन्सी को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

xviii. किसी भी उक्त शर्तों की पालना न करने की स्थिति में वन सरंक्षण अधिनियम, 1980 की उल्लंघना होगी तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के Handbook of FCA, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

xix. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियष्म/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि प्रस्ताव पर लागू होगें तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्राप्त कर ली जावेगी ।

वन मण्डल अधिकारी, (क्षे0),
फतेहाबाद।

Scanned by TapScanner

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग)
हिसार मण्डल कार्यालय,
प्रथम तल, एस सी ओ 40-41, सैक्टर–13P, तोशाम रोड
हिसार – 125005

Indian Oil Corporation Limited
(Marketing Division)
Hissar Divisional Office
First Floor, SCO 40-41, Sector-13P, Tosham Road,
Hissar-125005 (Haryana)
Tel. : 01662-246602,246603,246604
Website : www.iocl.com

इंडियन ऑयल
IndianOil

विपणन प्रभाग
Marketing Division)

Ref. No. - HDO/RS/Haroli
Dated- 25.05.2023

Project Name- Diversion of 0.02383 ha. of forest land for establishment of Retail Outlet (Petrol Pump) at proposed location at Khasra No. 138//11/2 on in Village- Haroli on Ratia- Sardulgarh Road (MDR-101), Block- Nagpur, under forest Division and District- Fatehabad, Haryana.

(Online Proposal No. FP/HR/Approach/142971/2021)

यह प्रमाणित किया जाता है कि, मैं प्रबंधक (रिटेल सेल्स), हिसार मंडल कार्यालय, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने डायवर्जन के लिए आवेदन किया है जोकि ग्राम- हडोली, ब्लॉक- नागपुर, जिला फ़तेहाबाद में रतिया – सरदुलगढ़ रोड (एमडीआर-101) पर आइओसीएल के रिटेल आउटलेट तक पहुँचने के लिए है ।

मैं वचन देता हूँ कि निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगा ।

(i) वनभूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।

(ii) काटे जाने वाले वृक्षो/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा । वृक्षों / पौधों की कटाई राज्य वन विभाग की कड़ी निगरानी में की जाएगी और वृक्षो / पौधों के पातन में खर्च की राशि, प्रयोक्ता एजेंसी, राज्य वन विभाग को जमा करवाएंगे ।

(iii) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा ।

(iv) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिये प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बड़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे ।

(v) इस प्रस्ताव को 15 वर्षो के लिये अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी । इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधी प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जानी वाली Lease की अवधी या परियोजना की अवधी, जो भी कम हो, के सह – समाप्ती होगी ।

(vi) पेट्रोल पम्प की पूरी परिधि (Periphery) पर दीवार से 1.5 मीटर जगह छोडकर 1.0 से 1.5 मीटर के अंतराल पर Light Crown पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाये ।

मनीष कुमार बछुवाण/Manish Kumar Bachhuwan
प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)/Manager (RS)
हिसार मण्डल कार्यालय/Hisar Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि०
Indian Oil Corporation Ltd.
हिसार–125005/Hisar-125005

पंजीकृत कार्यालय : जी–9, अली यावर जंग मार्ग, बान्द्रा, (पूर्व), मुम्बई–400 051
Regd-Office: G-9, Ali Yavar Jung Marg, Bandra (East) Mumbai-400 051 (India)
CIN : L23201 MH1959 GOI 011388

Scanned by TapScanner

(vii) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पहुँच मार्ग (Entry/Exit Or Deceleration/Acceleration) व विभाजक द्वीप (Separator Island) पर भी पोधारोपण किया जायेगा तथा इस विभाजक द्वीप का कोई भी व्यापारिक उपयोग नहीं किया जायेगा ।

(viii) साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जायेंगे ।

(ix) स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा ।

(x) केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान को बदला नहीं जायेगा ।

(xi) अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है ।

(xii) यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी ।

(xiii) इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarification), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जाएगी ।

(xiv) यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेशआदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी ।

प्रबंधक (रिटेल सेल्स),
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
हिसार मंडल कार्यालय

मनीष कुमार बछुवान/Manish Kumar Bachhuwan
प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)/Manager (RS)
हिसार मण्डल कार्यालय/Hisar Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
Indian Oil Corporation Ltd.
हिसार-125005/Hisar-125005

Scanned by TapScanner

COMPLIANCE OF THE SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECONGNITION OF FOREST RIGHTS) ACT, 2006.

(CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE CONCERNED DEPUTY COLLECTOR)

TITLE OF THE CASE/PROJECT : Diversion of **of 0.02383 ha. Of Forest land for Establishment of Retail Outlet (Petrol Pump) at proposed location at Khasra No. 138//11/ 2 in Village-Haroli on Ratia-Sardulgarh Road (MDR-101) Block, Nagpur under Forest Division & District Fatehabad, Haryana** for Fatehabad District/Forest Division falls within jurisdiction of **Haroli** village(s) in **Ratia** tehsils(s).

It is certified that the Forest Land proposed to be diverted is plantation which was notified as "Forest" less than 75 years prior to the 13th day of December, 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011.

Signature
District Collector,
Fatehabad. (with Seal)

Divisional Forest Officer
Fatehabad Forest Division
Fatehabad

Scanned by TapScanner

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आंध्रा Andhra · कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 20-06-2023

Agency Name.	INDIAN OIL CORPORATION
Application No.	70142971439
MoEF/SG File No.	9-HRB021-2023-CHA
Location.	HARAYANA
Address.	VILLAGE HAROLIFatehabad
Amount(in Rs)	259766/-

Amount in Words :Two Lakh Fifty-Nine Thousand Seven Hundred and Sixty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506970142971439 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challa even after 7 working days, then kindly mail a copy of yc id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@ur ubin0903710@unionbankofindia.bank

UTR No.

HDFCR52023062165848199

Scanned by TapScanner

Funds to be deposited in Govt. Exchequer

Help

Generate Chalian to generate chalan

Paid — This icon shows that the payment has been deposited

To be Paid — This icon shows that the payment of this yet to be made.

Challan Generated — This icon shows that the challan has been generated.

(●) Proposals received on or after 15th July 2014 ( ) All Proposals received upto 14th July 2014

roposal No.	Application No	Application No (New)	Proposal Name	Category	Area (ha.)	User Agency Name	Date of IN-PRINCIPLE	Demand Verified Date	Action	Status
HF/Approach/142971/2021	APPROACH142971202143	70142971439	Diversion of Forest land for construction of approach road of IOCL proposed retail outlet at Khasra no.138//11/2 on Ratia-Sardulgarh road Village Haroli, Tehsil Ratia, Block Nagpur Distt. Fatehabad.	Approach Access	0.02383	INDIAN OIL CORPORATION	17-4-2023	20-6-2023	Paid	Paid

Scanned by TapScanner